

>

Title: Introduction of the Prohibition of Ragging and Unfair Practices in Educational Institutions And Universities Bill, 2012.

**श्री राकेश सिंह (जबलपुर):** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अक्रजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अक्रजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री राकेश सिंह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---